

रखा गया है, जितना राजस्व न्यायालय के समस्त विचाराधीन व मवीन राजस्व प्रकरणों का लोक अदालत की भावना के तहत पक्षकारों के मध्य राजीनामा/समझौता अथवा मेरिट के आधार पर विधिबद्धत निस्तारण किया जाएगा।

अतः इस पत्रावली में संबंधित दोनों पक्षों को नोटिस द्वारा सूचित किया जाकर यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प ग्राम पंचायत मुख्यालय अटल सेवा केंद्र.....
पर आयंदा दिनांक...11-6-2016...का पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2016

दिनांक - 11-6-2016

पक्षकारान् उपस्थित।

यह पत्रावली राजस्व लोक

अदालत केम्प कोर्ट- अटल सेवा केंद्र ग्राम पंचायत मुख्यालय
केम्प ग्राम पंचायत मुख्यालय अटल सेवा केंद्र
पर आयंदा दिनांक 11-6-2016 का पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली

P.T.O.

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

हुई। उभय पक्ष कारण कारा
राजीनाम-प्रपत्र वाद सत्यापन
तस्वीक सुदा पेश किया गया जिसे
रेकॉर्ड पर लिया गया। उभय पक्ष
कारण कारा राजीनाम में लिखित
शर्तानुसार इस वाद पत्रावली
को विद्रोह किया जाता है पत्रावली
फैसल में सुभार व नंबर से कम
होकर दारिपल देप्टर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली

काम जो
की ताम
जारी हुए

राजस्थान न्यायालय के अंतर्गत

KWT

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सुमेरपुर
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :- बामनेरा सुमेरपुर

राजीनामा-प्रपत्र

सेवामें,

श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय
बामनेरा सुमेरपुर

दिनांक 10.6.14

अमृतसाल

बनाम स्व. कानिनाल कु. कु. मु.

प्रकरण संख्या:- 30/2015

अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 RTA

उपर्युक्त प्रकरण में प्रार्थी/वादी श्री अमृतसाल - प्रतिवादी रमेश सिंह
का निवेदन है कि उक्त उनवान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच
सुलह हो चुकी है एवं अब हमारे बीच कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं।
हमारा आपसी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है :-

कि हमारा बामनेरा कुआ का खण्ड नं. 401 के है यह
वादीगण द्वारा आपा खुदवाय गया है। अगले वर्ष जन 2017
के दिनांक से पूर्व प्रतिवादीगण द्वारा शोध कुआ खुदवा दिया
जाएगा। कुआ खुदवाया में जब वादीगण की जल
मही खरी हो तथा तबचारे के लिए पानी न ले रहे ह,
तब मुख्यतः खुदवाय जाएगा। जब तक प्रतिवादी द्वारा
अतः श्रीमान से निवेदन है कि हमारा राजीनामा तस्दीक कर मुकदमें का निस्तारक करने की कृपा करें।
कि नही खुदवाया जाएगा जब तक कुआ खुदवा पानी के कुदवा नही

- वादी पक्ष : 1. स्व. कानिनाल कु. कु. मु. प्रतिवादी पक्ष
1. अमृतसाल सुमेरपुर
 2. Ramesh Singh
 3.
 4.

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर
(वादी पक्ष) नाम Ramesh Singh
(स्व. कानिनाल कु. कु. मु.)

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर
(प्रतिवादी पक्ष) नाम Ramesh Singh
(स्व. कानिनाल कु. कु. मु.)

प्रार्थी/वादी एवं अप्रार्थी/ प्रतिवादी.....
द्वारा सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामों की इबारत को सुन व समझ कर सही होना स्वीकार
किया गया। अतः राजीनामा हस्तख्वाहिश पक्षकार तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल मिसल रहे।

मोके र (हो सदस्य) ... (हो सदस्य) ... (हो सदस्य) ... (हो सदस्य) ... (हो सदस्य)
49

अधिकारी